न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी— श्री महावीर प्रसाद नायक, आर0ए0एस0

प्रकरण सं0 —	तारीख दायर	तारीख फैसला
290 / 2016 / वाद पत्र	04.03.2016	20.06.2016

उनवान

रामकिशन पिता गोरू मीणा निवासी काशीपुरिया तहसील फूलियाकलां

—वादी

बनाम

1. कनीराम पिता रतना भील निवासी काशीपुरिया तहसील फूलियाकलां
2. मोहनी पुत्री रतना भील निवासी काशीपुरिया तहसील फूलियाकलां
3. शंकर पिता भूरा भील निवासी काशीपुरिया तहसील फूलियाकलां
4. मु0 लाली पुत्री भूरा भील निवासी बालापुरा तहसील फूलियाकलां
5. मु0 लाडा पुत्री भूरा भील निवासी बालापुरा तहसील फूलियाकलां
6. जगदीश पिता भूरा भील निवासी बालापुरा तहसील फूलियाकलां
7. रंगा पिता भूरा भील निवासी बालापुरा तहसील फूलियाकलां
8. महावीर पिता भूरा भील निवासी बालापुरा तहसील फूलियाकलां
9. उप पंजीयक, फूलियाकलां
10. तहसीलदार, फूलियाकलां

—प्रतिवादीगण

वाद पत्र खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितः— 1. श्री राजेश वर्मा, अभिभाषक :— वादी
2. श्री चावण्डसिंह शक्तावत :— प्रतिवादीगण

<u>निर्णय</u>

उनवानी मामले में वाद पत्र खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय हाजा में विचाराधीन है जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है। वादी ने वाद पत्र विरूध्द प्रतिवादी गण के प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम ड़ोहरिया पटवार हल्का ड़ोहरिया तहसील फूलियाकलां की संवत 2068—2071 की जमाबन्दी के खाता संख्या 40 मे आराजी नम्बर 1933 रकबा 0.76 है0 कृषि आराजीयात प्रतिवादी संख्या 01 व 02 तथा प्रतिवादी नम्बर 03 लगायत 08 की माता के नाम दर्ज रेकार्ड है। उक्त कृषि आराजी प्रतिवादीगण नं0 01 व 02 के पिता और 03 लगायत 08 के नाना रतना पिता बालू भील के खातेदारी अधिकारी की होकर इसके साबिक नम्बर 1727 / 28 रकबा 3 बीघा थे। जिसके भू—प्रबन्ध के पश्चात् आराजी नम्बर 1933 रकबा 0.76 है0 बने है। उक्त कृषि आराजीयात को वादी ने दिनांक 09.12.1994 को जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र से खरीद की और तब से वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। परन्तु रतना पिता बालू की मृत्यु हो जो से विरासत के आधार पर खाता वर्तमान मे कनीराम, मोहनी, सोहनी पिता रतना भील के नाम ही दर्ज कर दिया गया। जो वर्तमान मे भी चला आ रहा है। विक्रय पत्र के आधार पर वादी ने खातेदारी घोषणा की मांग की एवं प्रतिवादीगणों के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा की भी मांग की है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों की तलबी की गई।

किया शेष 03 लगायत 08 बावजूद तामील के उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। वादी कनीराम का शपथ पत्र साक्ष्य के रूप मे प्रस्तुत हुआ अधिवक्ता वादी मय वादी उपस्थित बहस सुनी गई। प्रकरण एवं राजस्व दस्तावेजात जमाबन्दी नकल, साबिक जमाबन्दी, मिलान क्षेत्रफल मूल रजिस्ट्री और इकबाली जवाब का अवलोकन किया गया इन सभी से वाद पत्र की पुष्टि होती है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ।

आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 आर0टी0ए0 स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण 01 लगायत 08 इस आशय की जारी की जाती है कि वाके ग्राम ड़ोहरिया तहसील फूलियाकलां मे स्थित हाल आराजी नम्बर 1933 रकबा 0.76 है0 के खातेदार कनीराम, मोहनी, सोहनी पिता रतना भील दर्ज रेकार्ड है को हटाया जाकर उनके स्थान के वादी रामकिशन पिता गौरू मीणा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज के आदेश तहसीलदार फूलियाकलां को दिये जाते है। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि से वादी को बेदखल नही करे व उसके कब्जे मे किसी प्रकार की कोई बाधा कारित नही करे एवं आराजी को किसी प्रकार से खुर्दबुर्द हस्तान्तरण नही करे व न ही अपने परिवार के सदस्यों, नोकरों, ऐजेन्टो से करावे।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2016 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

20/6/16

(महावीर प्रसाद नायक)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलाँ, जिला–भीलवाड़ा